

तमिलनाडु राज्य

बनाम

सीतालक्ष्मी मिल्स

(State of Tamil Nadu

Vs.

Sitolakshmi Mills)

तमिलनाडु राज्य

बनाम

लण्डन रबड़ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड और अन्य

[State of Tamil Nadu

Vs.

London Rubber Co. (India) Ltd. and Others]

और

तमिलनाडु राज्य

बनाम

मुलर एण्ड फिलिप्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

(State of Tamil Nadu

Vs.

Muller and Philips Private Ltd. and Others)

(21 दिसम्बर, 1973)

(मुख्य न्यायाधिपति ए० एन० रे, न्या० एच० आर० खन्ना, के० के० मंथू०
ए० अलगिरिस्वामी और पी० एन० भगवती)

केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) —

धारा 8 (2) (ख) — अन्तर्राजिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में
माल के क्रय या विक्रय पर कर अधिरोपित करना — संसद् व्यापार,
वाणिज्य और समागम को स्वतंत्रता पर लोक हित में निर्बन्धन अधिरोपित

करने के लिए सक्षम है—धारा 8 (2) (ख) संविधान के अनुच्छेद 301 और 303 (1) का अतिक्रमण नहीं करती।

मद्रास उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थियों ने यह दावा किया था कि वे अन्तर्राज्यिक व्यापार के अनुक्रम में सरकार को या अरजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों को अपने विक्रय के आवर्तन पर, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 (2) (ख) में विहित दर से अधिक दर पर कर लगाए जाने के दायित्वाधीन नहीं है, चूंकि धारा 8 (2) (ख) संविधान के अनुच्छेद 301 और 303 (1) का अतिक्रमण करती है इसलिए वह दोषपूर्ण है। उच्च न्यायालय ने इन दावों को संयुक्त निर्णय में स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध यह अपील प्रमाणपत्र लेकर उच्चतम न्यायालय में की गई है। इस अपील में इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या अधिनियम की धारा 8 (2) (ख) संविधान के अनुच्छेद 301 और 303 (1) का अतिवर्तन करती है और क्या वह दोषपूर्ण है। अपील को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—संसद् को वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में हो, कर अधिरोपित करने के लिए विधियां अधिनियमित करने के लिए अनन्य प्राधिकार से विनिहित किया गया है। (पैरा 4)

सामान्यतया वस्तुओं के विक्रय पर कोई कर व्यापार के अवाध प्रवाह या संचलन में सीधे हस्तक्षेप नहीं करता। कर लगाने की बाबत सामान्यतया यह उपधारित किया जाएगा कि वह लोक हित में है और चूंकि संसद् अनुच्छेद 302 के अधीन एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बन्धन अधिरोपित करने के लिए सक्षम है जैसे कि लोक हित में अपेक्षित हों, इसलिए कर को छूट दी गई है। (पैरा 8)

यदि कर के अपवर्तन को रोकना लोक हित में किया गया अध्युपाय है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि संसद अनुच्छेद 302 के अधीन उस प्रयोजन के लिए उपबन्ध करने के लिए सक्षम है, भले ही उस उपबन्ध में अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य पर निर्बन्धन अधिरोपित होते हों। (पैरा 11)

संसद् अधिनियम की धारा 8 (2) (ख) अधिनियमित करने के लिए सक्षम है। यदि यह भी मान लिया जाए कि धारा 8 (2) (ख) के अधीन अधिरोपित दर से अधिक कर लगाने से भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर निर्बन्धन लगते हैं तो चूंकि संसद् ऐसी स्वतन्त्रता

1486

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

[1974] 1 उम० नि० १०

पर लोक हित में निर्बन्धन अधिरोपित करने के लिए सक्षम है और चूंकि किसी कर के ग्रारोपण की बाबत सामान्यतया यह उपचारित किया जाता है कि वह लोक हित में है, हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए ऐसा कोई कारण नहीं पाते हैं कि धारा 8 (2) (ख) इस कारण दोषपूर्ण है कि वह अनुच्छेद 301 का अतिक्रमण करती है। (पैरा 12)

अतः धारा 8 (2) अनुच्छेद 301 और 303 (1) का अतिवर्तन नहीं करती और वह विविमान्य है। (पैरा 15)

अनुसरित निर्णय

पैरा

[[1969]] (1969) 3 एस० सी० आर० 829 :

मद्रास राज्य बनाम एन० के० नटराज मुदालियर

(State of Madras Vs. N. K. Nataraja 2, 8, Mudaliar); 12 और 13

निर्दिष्ट निर्णय

[[1967]] (1967) 20 एस० टी० सी० 150 :

लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड बनाम ज्वाइंट कॉमर्शियल टेक्स अफिसर (Larsen and Toubro Ltd. Vs. Joint Commercial Tax Officer); 2

[[1963]] (1963) सप्लीमेण्ट 2 एस० सी० आर० 435 :

ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य [Automobile Transport (Rajasthan) Limited Vs. The State of Rajasthan and Others]; 8

[[1961]] (1961) 1 एस० सी० आर० 809 :

अतियाबाड़ी टी कम्पनी लिमिटेड बनाम असम राज्य और अन्य (Atiabari Tea Company Ltd. Vs. The State of Assam and Others); 7, 8

तमिलनाडु राज्य व० सीतालक्ष्मी मिल्स [न्या० मंथ०]

1487

- [1955] (1955) 2 एस० सी० आर० 603 :
बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड बनाम
बिहार राज्य और अन्य (The Bengal
Immunity Company Limited Vs. The
State of Bihar and Others); 3
- [1953] (1953) एस० सी० आर० 1069 :
मुम्बई राज्य बनाम युनाइटेड मोटर्स (इण्डिया)
लिमिटेड [State of Bombay Vs. United
Motors (India) Limited]; 3
- [1908] (1908) 6 सी० एल० आर० 41 :
किंग बनाम बोर (King Vs. Baroer). 13

सिविल अपीली अधिकारिता : 1969 की सिविल अपील संख्या 2547-2549.

1967 के रिट पिटीशन संख्या 84 और 2356 में तथा 1964 के संख्या 228 में मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 1 मार्च, 1968 वाले निर्णयों और आदेश के विरुद्ध की गई अपीलें।

1970 की सिविल अपील संख्या 105-106.

1970 के रिट पिटीशन संख्या 983 और 687 में मद्रास उच्च न्यायालय के 1 मार्च, 1968 और 1 अप्रैल, 1968 वाले निर्णयों और आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलें।

- | | |
|---|--|
| अपीलार्थी की ओर से
(1969 की सिविल अपील संख्या
2547-49 और 1970 की सिविल
अपील संख्या 105 और 106 में) | सर्वश्री एस० वी० गुप्ते और
ए० वी० रंगम |
| प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से
(1969 की सिविल अपील संख्या
2547, 1970 की सिविल अपील
संख्या 105 और 106 में) और
प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से
(1970 की सिविल अपील
संख्या 105 में) | सर्वश्री वी० सेन, वी० डी० शर्मा
और एस० पी० नायर |

1488 उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका [1974] 1 उम० नि० प०

प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से
(1969 की सिविल अपील
संख्या 2547 और 1970 की अपील
संख्या 105 में)

प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से
(1970 की सिविल अपील
संख्या 106 में)

प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से
(1970 की सिविल अपील
संख्या 105 में)

श्री सी० वी० अग्रवाल और
श्रीमती एस० गोपालकृष्णन

सर्वश्री एन० नाटेसन, वी०
नंटराज और डी० एन० गुप्ता

श्री ओ० पी० राणा

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति के० के० मैथ्यू ने दिया ।

न्यायाधिपति मैथ्यू—

मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों ने यह दावा किया था कि वे, अन्तर्राजिक व्यापार के अनुक्रम में सरकार को या अरजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों को अपने विक्रय के आवर्त पर, भले ही उन्होंने यथास्थिति 'ग' और 'घ' प्रूफ अभिप्राप्त न किए हों, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 (2) (ख) में विहित दर से अधिक दर पर कर लगाए जाने के दायित्वाधीन इस कारण नहीं हैं, क्योंकि धारा 8 (2) (ख) संविधान के अनुच्छेद 301 और 303 का अतिक्रमण करती है, इसलिए वह दोषपूर्ण है । उच्च न्यायालय ने इन दावों को संयुक्त निर्णय में स्वीकार कर लिया । उस निर्णय के विरुद्ध ये अपीलें उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर की गई हैं और इनमें यह संयुक्त प्रश्न उठता है, अर्थात्, क्या अधिनियम की धारा 8 (2) (ख) इस कारण दोषपूर्ण है कि उसके उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 301 और 303 (1) का अतिवर्तन करते हैं ।

2. लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड बनाम ज्वाइंट कॉर्मशियल टैक्स आफिसर वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2), 2 (क) और (5) इस कारण दोषपूर्ण हैं कि वे संविधान के अनुच्छेद 301 और 303 (1) के उपबन्धों का अतिक्रमण करती हैं । यह इस बात पर आधारित है कि विभिन्न राज्यों की विक्रय कर विषयक् विधि में कर और छूट की विभिन्न दरें उन्हीं या वैसे ही माल पर असमान भार

डालती हैं जो कि अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य में उनके अबाध प्रवाह और संचलन में अड़चन पैदा करती है। इस विनिश्चय के विरुद्ध की गई अपील में इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के विनिश्चय को अपास्त कर दिया [देखिए—मद्रास राज्य बनाम एन० के० नटराज मुदालियर¹ वाला मामला] इस प्रश्न पर, कि धारा 8 (2) (ख) अनुच्छेद 301 या 303 (1) के उपबन्धों का अतिक्रमण करती है या नहीं, न तो न्यायाधिपति शाह द्वारा दिए गए बहुमत वाले निर्णय में और न न्यायाधिपति बछावत के सहमति वाले निर्णय में विनिर्दिष्ट रूप से विचार किया गया है। तथापि न्यायाधिपति हेंगडे ने अपने निर्णय में इस आशय के कुछ विचार व्यक्त किए हैं कि विक्रय कर के अपवंचन को रोकने के लिए धारा 8(2) (ख) अधिनियमित की गई थी और उसके द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन लोकहित में हैं।

3. राज्य के राजस्व के अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक स्रोत विक्रय कर है। संविधान निर्माताओं ने यह अनुभव किया था कि करारोपण की इस शक्ति का राज्यों द्वारा ऐसी रीति में प्रयोग किया जा रहा था, जो कि देश में सर्वत्र व्यापार और वाणिज्य के अबाध प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि प्रत्येक राज्य विक्रय के कुछ आवश्यक तत्वों का अवलम्ब लेते हुए, जिनका कि राज्यक्षेत्रीय सम्बन्ध होता है, ऐसा कर उद्गृहीत करता है जिससे अन्तर्राज्यिक विक्रयों पर बहुल करारोपण हो जाता है। इस बहुल करारोपण से उपभोग करने वाली जनता पर भार बढ़ जाता है। अतः संविधान निर्माताओं ने विक्रय कर को राज्य के राजस्व के स्रोत के रूप में रखते हुए राज्यों की कर लगाने की शक्ति पर निर्बन्धन अधिरोपित किए हैं। संविधान का अनुच्छेद 286 इस प्रयोजन के लिए अधिनियमित किए गए अनुच्छेदों में से एक है। यह अनुच्छेद जिस रूप में बनाया गया है उससे राज्यों की विधायी शक्ति पर निर्बन्धन लगाया जाना ईंप्रेस्ट है, किन्तु इस अनुच्छेद में और विशेष रूप से स्पष्टीकरण में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उससे संविधान सभा के आशय का स्पष्टीकरण होने के बजाए वह और अधिक अस्पष्ट हो जाता है। इस न्यायालय में की गई एक अपील में मुम्बई राज्य युनाइटेड मोर्टसे (इण्डिया) लिमिटेड² वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 286 के विस्तार पर विचार किया गया है। इस मामले में मुम्बई सेल्स टैक्स एक्ट, 1952 के उपबन्धों की विधिमान्यता को चुनौती दी गई थी। जिन न्यायाधीशों ने इस अपील की सुनवाई की थी, उन्होंने

¹ (1969) 3 एस० सी० आर० 829.

² (1953) एस० सी० आर० 1069.

बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 286 (1) (क) उन राज्यों के सिवाय जिनमें उपभोग करने के प्रयोजनों के लिए माल वस्तुतः परिदत्त किए गए हों, सभी राज्यों द्वारा अन्तर्राज्यिक तत्व वाले विक्रय या क्रय के करारोपण को प्रतिषिद्ध करता है और यह कि उसके स्पष्टीकरण का प्रभाव अन्तर्राज्यिक संव्यवहार को अन्तः राज्यिक संव्यवहार में बदलना है और उन्हें खण्ड 2 के प्रवर्तन से दूर रखना है। अनुच्छेद 286 के इस निर्वचन को इस न्यायालय की वृहत्तर न्यायपीठ ने स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने बंगाल इम्फूनिटी कम्पनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य¹ वाले मामले की सुनवाई की थी और उसे विनिश्चित किया था। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्यों की कर लगाने की शक्तियों पर संविधान के अनुच्छेद 286 द्वारा अधिरोपित प्रतिबन्ध स्वतंत्र और पृथक् हैं और राज्य विधानमण्डल द्वारा माल के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों पर कर अधिरोपित किए जा सकने से पूर्व उनमें से हर एक को समाप्त करना होगा। उसमें यह और अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 286 (1) (क) का स्पष्टीकरण उसमें सृष्ट विधिक कल्पना द्वारा विक्रय के स्थान को उस प्रवर्ग के भीतर आने वाले संव्यवहारों की दशा में अवधारित करता है और यह कि स्पष्टीकरण को लागू करने से जब एक बार यह अवधारित हो जाता है कि कोई संव्यवहार राज्य के बाहर है तो इससे यह परिणाम निकलता है कि वह राज्य, जिसके विषय में संव्यवहार को इस प्रकार उसके बाहर रखा जा सकता है, संव्यवहार पर कभी भी कर नहीं लगा सकता। तत्पश्चात् संविधान में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 286 के स्पष्टीकरण I को निकाल दिया गया और उसके खण्ड (2) और (3) में संशोधन द्वारा परिवर्तन कर दिया गया। साथ ही साथ, सप्तम अनुसूची की सूची I में मद 92 (क) जोड़ी गई, जो कि संसद् को समाचारपत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर उस सूरत में जिसमें कि ऐसा क्रय या विक्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में हो, कर उद्गृहीत करने के लिए विधान बनाने के लिए प्राधिकृत करती है और अन्तर्राज्यिक विक्रयों पर करारोपण को राज्य विधानमण्डल की सक्षमता से अपवर्जित करने के लिए सूची 2 की मद 54 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 269 के खण्ड (1) (छ) में भी उस अनुच्छेद के खण्ड (3) द्वारा संशोधन किया गया जो कि संशोधन के पश्चात् इस प्रकार है—

“यह अवधारित करने के लिए कि अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य की चर्या में वस्तुओं का क्रय या विक्रय कब होता है संसद् विधि द्वारा सिद्धान्त सुनित कर सकेगी।”

¹ (1955) 2 एस० सी० आर० 603.

4. संविधान (षष्ठ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा किए गए इन संशोधनों का प्रभाव संसद् को वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रय अन्तर्राजियक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में हो, कर अधिरोपित करने के लिए विधियां अधिनियमित करने के लिए अनन्य प्राधिकार से विनिहित करना है और राज्यों द्वारा वसूल किए गए कर को अनुच्छेद 269 के खण्ड (2) में उपबन्धित रीति से उन राज्यों को, जिनके अन्दर कर उद्ग्रहणीय हो, समनुदिष्ट करना है।

5. अनुच्छेद 286 और अनुच्छेद 269 के खण्ड (3) द्वारा संसद् को प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए संसद् ने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) अधिनियमित किया। इस अधिनियम के अध्याय 3 में अन्तर्राजियक विक्रय पर कर चुकाने का दायित्व अधिरोपित करने के लिए, व्यौहारियों का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए, कर की दरें नियत करने के लिए, कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और अन्तर्राजियक विक्रय कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों के भंग के लिए शास्त्रियां अधिरोपित करने के लिए व्यापक उपबन्ध किए गए हैं। धारा 8 द्वारा प्रत्येक व्यौहारी को अन्तर्राजियक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में उसके द्वारा किए गए सभी विक्रयों पर कर चुकाने के लिए दायी बना दिया गया है। धारा 8 के तात्त्विक भाग में निम्नलिखित उपबन्धित है—

“8. (1) हर व्यौहारी जो अन्तर्राजियक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में—

(क) कोई माल सरकार को बेचेगा; या

(ख) उपधारा (3) में निर्दिष्ट वर्णन का माल सरकार से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को बेचेगा;

इस अधिनियम के अधीन कर देने का जिम्मेदार होगा जो उसके आवर्त का तीन प्रतिशत होगा।

(2) किसी व्यौहारी द्वारा अपने आवर्त पर संदेय कर वहां तक, जहां तक कि आवर्त या उसका कोई भाग उपधारा (1) के अन्तर्गत न आने वाले अन्तर्राजियक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल के विक्रय से सम्बद्ध है—

(क) घोषित माल की दशा में, उस दर से जो समुचित राज्य के भीतर ऐसे माल के विक्रय या क्रय को लागू हो, परिकलित किया जाएगा;

(ख) घोषित माल से भिन्न माल की दशा में, दस प्रतिशत की दर से या उस दर से जो समुचित राज्य के भीतर ऐसे माल के विक्रय या क्रय को लागू हो, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, परिकलित किया जाएगा;

और ऐसे परिकलन के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यौहारी के बारे में, इस बात के होते हुए भी कि वह समुचित राज्य की विक्रय-कर विधि के अधीन तथ्यतः इस प्रकार जिम्मेदार नहीं है, यह समझा जाएगा कि उस विधि के अधीन कर देने का जिम्मेदार व्यौहारी है।”

6. इस प्रकार से उन वस्तुओं के संव्यवहारों के, जिन्हें अन्तर्राजियक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में कर के अधीन कर दिया गया है, तीन मुख्य वर्ग हैं : (1) धारा 8 (1) के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहार, अर्थात् सरकार को सभी विक्रय और धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट माल का, सरकार से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को विक्रय : (2) धारा 8 (2) (क) के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहार, अर्थात् घोषित माल की दशा में विक्रय; और (3) धारा 8 (2) (ख) के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहार, अर्थात् घोषित माल से भिन्न माल की दशा में विक्रय, जो (1) के अन्तर्गत नहीं आते। प्रवर्ग (1) में माल के विक्रयों के सम्बन्ध में यह घोषणा की गई है कि उसके आवर्त पर तीन प्रतिशत कर लगेगा। घोषित माल के विक्रयों पर समुचित राज्य के भीतर ऐसे माल के विक्रय या क्रय को लागू दर से कर परिकलित किया जाएगा। प्रवर्ग (1) और (2) के भीतर न आने वाले माल के विक्रय के आवर्त पर दर दस प्रतिशत या समुचित राज्य के भीतर ऐसे माल के विक्रय या क्रय को लागू दर होगी, इन दोनों में से जो भी अधिक हो।

अनुच्छेद 301 में यह उपबन्धित है :

“इस (भाग 13)के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा।”

7. इस प्रकार घोषित की गई व्यापार की स्वतंत्रता राज्य में तथा अन्तर्राजियक व्यापार पर प्रतिबन्ध या बाधाओं के अधिरोपण के विरुद्ध है। ऐसे सभी निर्बन्धनों को, जो व्यापार के संचलन पर प्रत्यक्षतः और तत्काल प्रभाव डालते हैं, अनुच्छेद 301 में अप्रभावी घोषित किया गया है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 301 यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत राज्य-क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा, सभी विधायी शक्तियों पर साधारण

‘निर्बन्धन अधिरोपित करता है। यह साधारण निर्बन्धन अनुच्छेद 302 में संसद् के पक्ष में शिथिल कर दिया गया है जिसमें यह उपबन्धित है—

“संसद्, विवि द्वारा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बन्धन आरोपित कर सकेगी जैसे कि लोक हित में अपेक्षित हों।”

अतियाबाड़ी टी कम्पनी लिमिटेड बनाम असम राज्य और अन्य¹ वाले मामले में न्यायाधिपति गजेन्द्र गडकर ने अपनी, न्यायाधिपति वान्चू और दास गुप्ता की ओर से निर्णय सुनाते हुए यह मत व्यक्त किया था :

“.....हमारा यह विचार है कि यह अभिनिधारित करना युक्तियुक्त और उचित होगा कि ऐसे निर्बन्धन जिनसे स्वतंत्रता की गारण्टी अनुच्छेद 301 में दी गई है, वे निर्बन्धन होंगे जो व्यापार के अवाधि प्रवाह और संचलन को प्रत्यक्षतः या तुरन्त निर्बन्धित करते हों या उसमें अड़चन डालते हों।”

8. आटोमोबाइल ट्रान्सपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य² वाले मामले में यद्यपि यह न्यायालय अतियाबाड़ी टी कम्पनी लिमिटेड वाले मामले¹ में बहुमत के दृष्टिकोण से व्यवहारतः सहमत था तथापि उसमें यह स्पष्टीकरण और जोड़ा था कि व्यापारिक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रतिकरात्मक कर अधिरोपित करने वाला विनियामक अध्युपाय या कोई अध्युपाय अनुच्छेद 301 में दिए गए निर्बन्धनों के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आएगा। सामान्यतया, वस्तुओं के विक्रय पर कोई कर व्यापार के अवाधि प्रवाह या संचलन में सीधे हस्तक्षेप नहीं करता। किन्तु कोई कर ऐसा हो सकता है जो उसकी दर पा अन्य विशेष बातों के कारण, वस्तुओं के अवाधि संचलन में अड़चन डाल सकता है। भद्रास राज्य बनाम एन० के० नटराज मुदालियर³ वाले मामले में बहुमत का निर्णय सुनाते हुए न्यायाधिपति शाह इस आधार पर अग्रसर हुए थे कि केन्द्रीय क्रिय कर अधिनियम के अधीन कर तत्वतः ऐसा कर है जो व्यापार

¹ (1961) 1 एस० सी० आर० 809.

² (1963) सप्लीमेंट 2 एस० सी० आर० 435.

³ (1969) 3 एस० सी० आर० 829.

या वाणिज्य के संचलन में कठिनाई डालता है, किन्तु प्रश्नगत मामले में अधिरोपित कर को भाग 13 के अन्य उपबन्धों द्वारा छूट दी गई है। तदुपरि न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि कर लगाने की शक्ति के प्रयोग की बाबत सामान्यतया यह उपधारित किया जाएगा कि वह लोक हित में है और चूंकि संसद् अनुच्छेद 302 के अधीन एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बन्धन अधिरोपित करने के लिए सक्षम है जैसे कि लोक हित में अपेक्षित हों, इसलिए कर को छूट दी गई है।

9. इस मामले में न्यायाधिपति बछावत ने अपना निर्णय सुनाते हुए यह मत व्यक्त किया था कि यदि अन्तः राज्यिक विक्रय पर कोई कर अनुच्छेद 301 का अतिवर्तन नहीं करता तो तर्कसंगत रूप से यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राज्यिक विक्रयों पर कर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कोई कर देश के एक भाग से दूसरे भाग को माल के व्यापार के अवाध प्रवाह या अवाध संचलन या परिवहन पर प्रत्यक्षतः या तुरन्त प्रवर्तित नहीं होता तथा कर विक्रय पर होता है और संचलन विक्रय का आनुषंगिक और उसके परिणामस्वरूप है। उन्होंने यह मत और व्यक्त किया है कि यदि यह भी मान लिया जाए कि केन्द्रीय विक्रय कर अनुच्छेद 301 पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो भी यह निश्चय ही ऐसी विधि है जो संसद् द्वारा लोकहित में बनाई गई है और जिसे अनुच्छेद 302 का संरक्षण प्राप्त है।

10. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, धारा 8 (2) (ख) घोषित माल से भिन्न माल के विक्रय के बारे में है और वह रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों या सरकार से भिन्न व्यक्तियों को माल के अन्तर्राज्यिक विक्रय तक सीमित है। विहित की गई कर की दर दस प्रतिशत है या समुचित राज्य के भीतर माल के विक्रय या क्रय पर अधिरोपित कर की दर होगी, इन दोनों में से जो भी अधिक हो। कराधान जांच समिति की रिपोर्ट से यह उपर्युक्त होगा कि इस उपबन्ध को अधिनियमित करने का मुख्य कारण रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों के उरिए, जिनके ऊपर समुचित सरकार का अधिकाधिक नियंत्रण होता है, अन्तर्राज्यिक व्यापार को प्रणालीबद्ध करना है और इस प्रकार कर का अपवंचन रोकना है।

“जहां एक राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों और दूसरे राज्य के अरजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों या उपभोक्ताओं के बीच संव्यवहार होते हैं वहां उद्ग्रहण की कम दर यथोचित नहीं होगी क्योंकि इससे न्यूनधिक उसी रूप में कर के अपवंचन को प्रोत्साहन मिलेगा जितना कि अनुच्छेद 86 के वर्तमान

उपबन्धों से मिलता है। यदि इसे रोका जाना है तो इसके लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के संव्यवहारों पर उन्हीं दरों से कर लगाया जाना चाहिए जो नियंति करने वाले राज्य अपने राज्यक्षेत्रों के भीतर वैसे ही संव्यवहारों पर अधिरोपित कर सकते हैं। इस प्रकार आयात करने वाले राज्य के अरजिस्ट्रीकृत व्यौहारी और उपभोक्ता स्थानीयरूप से क्रय की जाने वाली वस्तुओं के उपभोक्ताओं से कोई लाभ उठाने में स्वयं को असमर्थ पाएंगे और वास्तव में वे इस पद्धति के अधीन पूर्णरूप से कराधान से नहीं बच पाएंगे, जैसा कि अधिकांश आज कल करते हैं।”

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अरजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों को अन्तर्राज्यिक विक्रय को, हतोत्साहित करने के लिए ही संसद् ने कर की ऊंची दर, अर्थात् 10 प्रतिशत, उपबन्धित की है। किन्तु यदि ऐसी वस्तुओं के अन्तः-राज्यिक विक्रय को लागू दर 10 प्रतिशत से अधिक है तो उससे भी यह प्रयोजन सफल न होगा। तब यह 10 प्रतिशत की दर अनुकूल होगी और वे स्थानीय उपभोक्ताओं की तुलना में अधिक लाभ की स्थिति में होंगे। इस कारण ही संसद् ने विधानीय नीति के रूप में यह उपबन्धित किया है कि कर की दर 10 प्रतिशत या अन्तः राज्यिक विक्रयों को लागू दर होगी, इन दोनों में से जो भी अधिक हो।

11. यदि कर के अपवंचन को रोकना लोक हित में किया गया अध्युपाय है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि संसद् अनुच्छेद 302 के अधीन उस प्रयोजन के लिए उपबन्ध करने के लिए सक्षम है, भले ही उस उपबन्ध से अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य पर निर्बन्धन अधिरोपित होते हों।

12. किन्तु इसे पृथक, मद्रास राज्य ब० एन० के० नटराज मुदालियर¹ वाले मामले में बहुमत से स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि “कर लगाने की इस शक्ति के प्रयोग की बाबत सामान्यतया यह उपधारित किया जा सकता है कि वह लोक हित में है।” हम इस प्रश्न की गहराई में नहीं जाना चाहते कि क्या न्यायालय यह जांच करने के लिए स्वतंत्र है कि क्या कर का उद्ग्रहण व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर लोक हित में निर्बन्धन का अधिरोपण है। यह कदापि उपधारित नहीं किया जा सकता कि क्योंकि कर की दर उस वर्ग के संव्यवहार पर तात्त्विक समय पर दस प्रतिशत है या अन्तः राज्यिक विक्रयों की बाबत समुचित राज्य द्वारा नियत दर है, इन दोनों में से जो भी अधिक हो,

¹ (1969) 3 एस० सी० आर० 829.

1496

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

[1974] 1 उम० नि० १०

इसलिए इस दर का अधिरोपण लोक हित में नहीं है। अतः इस विषय में किसी भी दृष्टिकोण से संसद् अधिनियम की धारा 8 (2) (ख) अधिनियमित करने के लिए सक्षम है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि यह भी मान लिया जाए कि धारा 8 (2) (ख) के अधीन अधिरोपित दर से अधिक कर लगाने से भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर निर्बन्धन लगते हैं तो चूंकि संसद् ऐसी स्वतंत्रता पर लोक हित में निर्बन्धन अधिरोपित करने के लिए सक्षम है और चूंकि किसी कर के आरोपण की बाबत सामान्यतया यह उपधारित किया जाता है कि वह लोक हित में है, हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए ऐसा कोई कारण नहीं पाते हैं कि धारा 8(2)(ख) इस कारण दोषपूर्ण है कि वह अनुच्छेद 301 का अतिक्रमण करती है।

13. जहाँ तक इस दलील का सम्बन्ध है कि धारा 8 (2) (ख) अनुच्छेद 303 (1) का अतिक्रमण इसलिए करती है कि भिन्न-भिन्न राज्यों में अन्तराज्यिक विक्रय के लिए उसके विक्रय कर की दरों पर निर्भर रहते हुए अन्तर्राज्यिक विक्रय पर कर की भिन्न-भिन्न दरें होंगी और यह कि इससे उन्हीं या वैसी ही वस्तुओं के विक्रय पर असमान कर का अधिरोपण होगा, यह कहना पर्याप्त होगा कि इस प्रश्न पर इस न्यायालय ने मद्रास राज्य बनाम एन० के० नटराज मुदालियर¹ वाले मामले में विचार किया है और न्यायालय ने इस दलील को नामंजूर कर दिया। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि भिन्न-भिन्न राज्यों में उसी या वैसी ही वस्तुओं के विक्रय पर कर की भिन्न-भिन्न दरें होने से ही वे विभेदकारी न होंगी क्योंकि यह ग्रावश्यक नहीं है कि व्यापार का प्रवाह विक्रय कर की दरों के ऊपर ही निर्भर हो : न्यायालय के अनुसार यह भिन्न-भिन्न बातों पर निर्भर होता है, जैसे प्रदाय का स्रोत, उपयोग का स्थान, व्यापार प्रणाली का होना, दुलाई की दरें, व्यापारिक सुविधाएं, दक्ष परिवहन और व्यापार करने की अन्य सुविधाओं का होना। न्यायालय ने किंवदन्ती के अनुसार एन० के० नटराज मुदालियर² वाले मामले में न्यायाधिपति इजाक्स के मत के प्रति निर्देश किया है और यह कहा है—

“.....यद्यपि केन्द्रीय विक्रय कर केन्द्रीय सरकार के नाम से उद्गृहीत और वसूल किया जाता है तथापि यह उद्ग्रहण राज्यों के फायदे के लिए अधिरोपित विक्रय कर का एक भाग है। अन्तराज्यिक संव्यवहारों पर किसी वस्तु की बाबत विक्रय कर अधिरोपित करना राज्यों का कार्य मान लिए जाने से कोई विभेद नहीं किया जाता है और

¹ (1969) 3 एस० सी० आर० 829.

² (1908) 6 सी० एल० आर० 41.

तमिलनाडु राज्य ब० सीतालक्ष्मी मिल्स [न्या० मैथ्य०]

1497

उन राज्यों को, जहाँ से माल का संचलन शुरू होता है, विक्रय के संबंधवारों पर राज्य में प्रचलित दरों पर पहले से लगाए गए निर्बन्धन के अधीन रहते हुए केन्द्रीय विक्रय कर उद्गृहीत करने के लिए प्राधिकृत करने से हमारे मतानुसार कोई भी विभेद हुआ नहीं समझा जा सकता।"

14. हमारा यह विचार है कि इस दलील में कोई सार नहीं है कि अधिनियम की धारा 8(2) (ख) अनुच्छेद 303 (1) के उपबंधों का अतिवर्तन करती है।

15. अतः हम उच्च न्यायालय के विनिश्चय को अपास्त करते हैं और यह अभिनिर्धारित करते हैं कि धारा 8 (2) अनुच्छेद 301 और 303 (1) का अतिवर्तन नहीं करती और वह विधिमात्र है।

16. 1969 की सिविल अपील संख्या 2547-2549 खर्च सहित मंजूर की जाती है।

17. 1970 की सिविल अपील संख्या 105-106 में प्रत्यर्थियों ने यह अनुरोध किया है कि उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य दलीलें दी हैं और यह कि उन दलीलों पर उच्च न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है और उन पर उसके द्वारा अब विचार किया जाना चाहिए। हम इन अपीलों को खर्च सहित मंजूर करते हैं और इन मामलों को, उनमें उठाए गए अन्य प्रश्नों के विचारार्थ उच्च न्यायालय को भेजते हैं।

18. एक सुनवाई की फीस दी जाएगी।

अपीलें मंजूर की गई ४

प्र०/क०